पत्रांक–16 / से0गा0अ0–01–02 / 2015 का०– 8508

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

निधि खरे,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 30.9.16.

विषय : झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं के संदर्भ में प्राप्त होने वाली शिकायतों के अनुश्रवण के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम राज्य में 2011 से लागू है, जिसके अन्तर्गत 200 सेवाएँ अधिसूचित हैं। अधिसूचित सेवाएँ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रतिदिन अनेक आवेदन आपके कार्यालय में समर्पित किए जाते होंगे तथा इससे सम्बन्धित जनसाधारण की कुछ शिकायतें भी मिलती होंगी। इन शिकायतों पर समुचित अनुवर्ती कार्रवाई अपेक्षित है जो सशक्त अनुश्रवण प्रणाली के माध्यम से ही सुनिश्चित कराया जा सकता है।

उक्त संदर्भ में अनुरोध है कि झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त सेवाओं के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों को अलग पंजी में अथवा ऑनलाईन संधारित किए जाने की व्यवस्था की जाय (यदि सम्भव हो तो जन सुविधा केन्द्र में इसे संधारित किया जाय) तथा नोडल पदाधिकारी को इसके दैनिक अनुश्रवण हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

29/9/16

(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।